

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-18
उत्तर देने की तारीख-01/12/2025

सामान्य प्रवेश परीक्षा (कैट) फीस में वृद्धि

†18. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कैट आवेदन शुल्क में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा इसमें 2021 से 2025 तक 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) हाल के वर्षों में कैट परीक्षा शुल्क में बार-बार वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र बनाने पर विचार कर रही है कि आर्थिक रूप से वंचित छात्र बढी हुई फीस से प्रभावित न हों और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसी भी परिस्थिति में कैट परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त परीक्षा में उपस्थित नहीं होने वाले उम्मीदवारों के लिए शुल्क वापसी विकल्पों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 के तहत शासित होते हैं। अधिनियम के तहत, आईआईएम को शुल्क और अन्य शुल्कों के भुगतान को निर्धारित करने, निर्दिष्ट करने और प्राप्त करने का अधिकार है। आईआईएम स्व-वित्तपोषण आधार पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (कैट) आयोजित करते

हैं। वर्ष 2025 में कैट आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2,600 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ₹ 1,300 है। वर्ष 2021 में, यह आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी के लिए ₹ 2,200 और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी आवेदकों के लिए ₹ 1,100 था। कैट आवेदन शुल्क प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर उस वर्ष परीक्षा आयोजित करने में शामिल प्रशासनिक, तार्किक और परिचालन लागतों को शामिल करने के लिए तय किया जाता है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी छात्रों के लिए कैट आवेदन शुल्क सामान्य छात्रों के लिए शुल्क राशि के आधे के रूप में रखा जाता है। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य है क्योंकि कैट परीक्षा के लिए रसद और व्यवस्था उन उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर बनाई गई है जिन्होंने अपने आवेदन पत्र जमा किए हैं और परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। इसमें स्थानों का आयोजन, शेड्यूलिंग और प्रत्येक उम्मीदवार के लिए आवश्यक संसाधन तैयार करना शामिल है। इसलिए, यदि कोई उम्मीदवार इन सभी व्यवस्थाओं के बाद परीक्षा में भाग नहीं लेने का निर्णय करता है, तो शुल्क वापस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले से ही पूरी की गई व्यापक योजना और संसाधन आवंटन को उलटना संभव नहीं होगा।
